1/10/21
18/10/21

(नियम 26) प्रपत्र

2021/171

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (~~सतर्कता~~) श्री गंगानगर

शिवकुमार बनाम राजभज वगैरा

अपील प्रकरण सं० 51 /2021

अधिवक्ता अपीलार्थी :–श्री ओमप्रकाश बतरा   अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
23.09.2021	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 को पेश हो।	
11.10.21	अधिवक्ता अपीलार्थी उप० रेस्पो० नं० 7 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश ध्यान ने द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत, शामिल हो। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रा०पत्र दि० 12.10.21 को पेश हो।	
12-10-2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 07 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी की प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलाई गई। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को पेश हो।	
18/10/2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थि। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण आदेश लिखाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.10.2021 को पेश हो।	
21.10.2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मैसर्स गणेश ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, श्रीगंगानगर के चक 3 ई छोटी मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 ता 8 ,उ 11 ता 15 एवं चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर–1 किला नम्बर –10,11,12 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा दर्ज थी जिसकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, जिसमें प्रार्थी के पिता लक्ष्मण दास पुत्र गणेशीलाल का 7 प्रतिशत का हिस्सा दर्ज था। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस सयलक्ष्मण दास के लडके शिवकुमार, अनिल कुमार , रामधन वारिस है। उपरोक्त फर्म 1977 से रजिस्टर्ड फर्म है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उसके जायज वारिस प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बहन है जिसमें 9 बीघा 9 बिस्वा रकबा में से 7 प्रतिशत हिस्सा यानि करीबन 13.23 बिस्वा रकबा का प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हकदार है। राजस्व रिकॉर्ड में रकबा मैसर्स गणेश ऑयल एण्ड जनरल मिल्स श्रीगंगानगर के नाम चल रहा था। प्रार्थी के पिता द्वारा फर्म को किसी को भी बेचान नहीं किया गया ना ही प्रार्थी ~~द्वारा बेचान किया गया है।~~ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के	

तहत प्रार्थी इसके हकदार है। अप्रार्थीगान को प्रार्थी का 7 प्रतिशत

हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं है जबकि अपीलार्थी के पिता लक्ष्मणदास के उत्तराधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के हक में लिखकर नहीं दिया गया। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अपीलधीन इन्तकाल संख्या 525 दिनांक 16.03.2021 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत किया है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा जमीन का बेचान कर दिया और जमीन पर कब्जा ले लिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः ताफैसला मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थित कायम रखे जाने का आदेश पारित किया जावें।

अधिवक्ता रेसपोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा जरिये पसंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से भूमि खरीद की जाकर मौका पर कब्जा प्राप्त किया है एवं नेकनीयत साधिकार खरीददार खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट का न तो विधिक हक है एव ना ही कब्जा है तो अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। खरीद की गई भूमि के संदर्भ में खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत होने पर उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश एवं डिकी से खाता का विभाजन किया जाकर पृथक जमाबन्दी रेस्पोडेन्ट के नाम से मुर्तिब की जा चुकी है इसलिये हस्तगत अपील नाकाबिल चलने के एवं स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट वांछित अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर गनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधिवक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा फार्म नम्बर फार्म नम्बर 03 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रस्तुत शपथ पत्र अनिल रिंगला पुत्र लक्ष्मण दास जो कि अपीलांट का भाई है ने अंकित किया है कि मेरे द्वारा और मेरे भाईयों द्वारा अपने-अपने हिस्से का प्रतिफल पूर्व में ही प्राप्त किया हुआ है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 525 दिनांक 16.03.2021 पंजीकृत बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी बैयनामा जो पंजीकृत किया गया है से सन्तुष्ट नहीं है तो सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। पंजीकृत बैयनामा पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते तल्बी एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2021.को पेश हो।

17/11/21 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है।
पीठासीन अधिकारी [illegible]
हा। पत्रावली दिनांक 17/12/21 को पेश हो।

17/12/21 रेस्पो० [illegible] 1/1, 1/2 की ओर से श्री एस.एल. [illegible] अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत शामिल हो।
पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश प्रमाण पर~~ [illegible]
कार्य में व्यस्त है। पक्ष कागज के अभिभाषक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक 18/1/22 को पेश हो।

18/1/22 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है।
पीठासीन अधिकारी [illegible]
है। पत्रावली दिनांक 21/2/22 को पेश हो।

21/2/22 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश प्रमाण पर~~ प्रशासनिक
कार्य में व्यस्त है। पक्ष कागज के अभिभाषक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक 1/3/22 को पेश हो।

23/3/22 — बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है।
पीठासीन अधिकारी ....
हा। पत्रावली दिनांक 31/3/22 को पेश हो:

31/3/22 — पीठासीन अधिकारी [illegible] प्रशासनिक
[illegible] अभिभाषक उपस्थित
हा। पत्रावली दिनांक 25/4/22 को पेश हो!

25/4/22 — बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है।
पीठासीन अधिकारी ....
हा। पत्रावली दिनांक 14/6/22 को पेश हो:

14/6/22 — अधिवक्ता [illegible] उपस्थित / अपीलांट
अधिवक्ता [illegible]
पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27/6/22 को पेश हो

27/6/2022 अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 07 उपस्थित। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेजातस एवं तथ्यों की अनभिज्ञता एवं अज्ञानता में उक्त अपील प्रस्तुत की थी जो कि वर्तमान में अपीलांट के समक्ष समस्त वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पर पंचायत की रूह से रेस्पोडेन्ट संख्या 7 एवं अन्य रेस्पोडेन्टान के साथ समझौता हो गया है किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद शेष नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद आयन्दा प्रार्थी/अपीलांट किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में उत्पन्न करेगा। अतः उपरोक्त अनवानी अपील को पंचायत एवं लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के तहत पर आज ही पेशी में लिया जाकर दाखिल दफतर फरमाया जावें। फलस्वरूप अपीलांट का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

Shiv Kumar
Mukesh Shah
Identified by me.
27/6/22